

(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष: एम०के० सिंह
सदस्य

✓

प्रकरण क्रमांक निग० 695-चार/99 एवं 762-तीन/99
विरुद्ध आदेश दिनांक 17-2-99 पारित द्वारा अपर आयुक्त,
चंबल संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 71/97-98/अपील एवं
72/97-98/अपील.

निग० 695-चार/99


- 1- दुर्जनसिंह पुत्र कलियान
निवासी सिंहपुर रोड मुरार
तहसील एवं जिला ग्वालियर
- 2- राजाबाई पत्नी रमेश सिंह गुर्जर
द्वारा मुख्त्यार आम विशम्भर सिंह
निवासी ग्राम बिल्हेटी तहसील एवं
जिला ग्वालियर

----- आवेदकगण

विरुद्ध

- 1- महावीर सिंह
- 2- वीरसिंह
पुत्रगण जगन्नाथ सिंह
- 3- रामजीलाल अव्यस्क पुत्र जगन्नाथ सिंह
संरक्षक भाई महावीर सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह
निवासीगण ग्राम हरीराम का पुरा
तहसील गोहद जिला भिण्ड
- 4- रामचरण पुत्र बिन्द्रावन गुर्जर
निवासी ग्राम बिल्हेटी तहसील
एवं जिला ग्वालियर
- 5- चतुरसिंह पुत्र मूलेसिंह गुर्जर
निवासी ग्राम जिरोंगी तहसील गोहद
जिला भिण्ड

----- अनावेदकगण





निग0 762-तीन/99

दुर्जनसिंह पुत्र कलियान
निवासी सिंहपुर रोड मुरार
तहसील एवं जिला ग्वालियर

----- आवेदक

विरुद्ध

- 1- महावीर सिंह
- 2- वीरसिंह
पुत्रगण जगन्नाथ सिंह
- 3- रामजीलाल अब्यस्क पुत्र जगन्नाथ सिंह
संरक्षक भाई महावीर सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह
निवासीगण ग्राम हरीराम का पुरा
तहसील गोहद जिला भिण्ड
- 4- रामचरण पुत्र बिन्द्रावन गुर्जर
निवासी ग्राम बिल्हेटी तहसील एवं जिला ग्वालियर
- 5- चतुरसिंह पुत्र मूलेसिंह गुर्जर
निवासी ग्राम जिरोंगी तहसील गोहद
जिला भिण्ड

----- अनावेदकगण

श्री एस.के. वाजपेई, अधिवक्ता, आवेदकगण (दोनों प्रकरणों में)
श्री के. के. पचौरी, अधिवक्ता, अनावेदकगण (दोनों प्रकरणों में)

:: आदेश ::

(आज दिनांक 6 - 4 - 2016 को पारित)

ये निगरानियां अपर आयुक्त, चंबल संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 71/97-98/अपील एवं 72/97-98/अपील में पारित आदेश दिनांक 17-2-99 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई हैं । दोनों प्रकरणों के तथ्य समान होने, पक्षकार एक होने एवं उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा एक




साथ तर्क किए जाने के कारण इन दोनों प्रकरणों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है ।

2/ प्रकरण के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में विस्तार से उल्लिखित होने से उन्हें पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

3/ आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रकरण का निराकरण रिकार्ड के आधार पर किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश की गई है ।


5/ आवेदकगण की ओर से निगरानी मेमो में उल्लिखित तर्कों एवं अनावेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में दिए गए तर्कों के सन्दर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पंजीकृत विक्रयपत्र के माध्यम से क्रय किए जाने के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है इस संबंध में भूमिस्वामी कैलाशीबाई द्वारा उपस्थित होकर कथन किया गया है कि उसके द्वारा कोई मुख्त्यार नामा निष्पादित नहीं किया गया है और जो मुख्त्यार नामा संपादित किया गया था वह विक्रय दिनांक के पूर्व ही निरस्त कर दिया गया है । तत्पश्चात उसके द्वारा यह कथन किया गया है उसने पूर्व में जो कथन किए हैं वे सही नहीं हैं और लोगों के बहकावे में आकर उपरोक्त कथन किए गए हैं । इसके अतिरिक्त तहसील न्यायालय में पंजीकृत विक्रयपत्र की छायाप्रति पेश की गई है मूल प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है । अतः तहसील न्यायालय द्वारा बिना विक्रयपत्र को साक्ष्य से प्रमाणित किए और भूमिस्वामी कैलाशीबाई के कथनों की सत्यता की जांच किए नामांतरण आदेश पारित किया गया है जोकि पूर्णतया अवैधानिक प्रक्रिया है और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उपरोक्त वैधानिक स्थिति तथा तथ्यात्मक स्थिति पर बिना विचार




किये तहसील न्यायालय के आदेश की पुष्टि करने में त्रुटि की गई है इस कारण उनका योग्य भी निरस्त किये जाने योग्य था । अतः अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेशों को निरस्त कर प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रत्यावर्तित करने में कि , मूल विक्रयपत्रों को पेश कराया जाकर उनकी सत्यता के संबंध में जांच की जाये कि क्या मुख्त्यार आम रामचरण सिंह महिला कैलाशाबाई की भूमि को विक्रय करने का हक था ? महिला कैलाशीबाई द्वारा जो शपथपत्र पेश किया गया है, जिसमें उसके द्वारा अपने पूर्व के कथन को गलत होना बताया गया है, इसकी सत्यता साक्ष्य द्वारा प्रमाणित कराई जाये । नाबालिग बच्चों के वैध संरक्षक की नियुक्ति कराई जाये तदुपरांत प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का निराकरण गुणदोषों पर किया जाये, उचित कार्यवाही की गई है । यहां यह भी विचारणीय प्रश्न है कि अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया है जहां आवेदकगण अपने पक्ष में हुए विक्रयपत्र की वैधानिकता को प्रमाणित कर सकते हैं । दर्शित परिस्थिति में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है एवं ये दोनों निगरानियां निरस्त की जाती हैं ।




 (एम. के. सिंह)
 सदस्य,
 राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
 ग्वालियर